



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 112]

नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 24, 1993/फाल्गुन 5, 1914

No. 112]

NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 24, 1993/PHALGUNA 5, 1914

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि वह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

उद्योग मंत्रालय

सारणी

(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 24 फरवरी, 1993

माल के वर्ग का वर्णन

उत्पाद शुल्क की दर

1

2

सीमेंट

विनिर्मित या उत्पादित सीमेंट के
0.75 रुपए प्रति मीटरीक टन

[फा.सं. 13 (5)/90-सीमेंट]

ए.पी. सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 24th February, 1993

S.O. 125(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 9 of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby specifies the classes of goods manufactured or produced in the scheduled industry of cement as mentioned in

का.आ. 125 (अ) :— केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 9 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे की सारणी के स्तम्भ (1) में वर्णित सीमेंट के अनुसूचित उद्योग में विनिर्मित या उत्पादित माल के उन वर्गों को विनिर्दिष्ट करती है जिन पर उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए उपकर के रूप में उत्पाद-शुल्क तारीख 1 मार्च, 1993 से उक्त सारणी के स्तम्भ (2) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट दर से उद्गृहीत और संगृहीत किया जाएगा :—

column (1) of the Table below on which shall be levied and collected as a cess a duty of excise for the purpose of the said Act with effect from 1st March, 1993 at the rate specified in the corresponding entry in column (2) of the said Table :

TABLE

Description of class of Goods	Rate of duty of excise
(1)	(2)
Cement	Rs. 0.75 per Metric Tonne of cement manufactured or produced

[File No. 13(5)/90-Cement]

A. P. SINGH, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 फरवरी, 1993

का.आ. 126 (अ) :—कतिपय नियमों का निम्न-लिखित प्रारूप, जिसे केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बनाने की प्रस्थापना करती है, उस धारा की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार ऐसे सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए जिनका उससे प्रभावित होना संभाव्य है, प्रकाशित किया जाता है और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप पर उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना से युक्त राजपत्र जनता को उपलब्ध करा दिया जाता है, तीस दिन की समाप्ति के पश्चात् विचार किया जाएगा ।

ऐसे किन्हीं आक्षेपों या सुझावों पर, जो उक्त प्रारूप की बाबत किसी व्यक्ति से इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर प्राप्त किए जाएं, केन्द्रीय सरकार विचार करेगी । ऐसे आक्षेप या सुझाव, सचिव, उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग), उद्योग भवन, नई दिल्ली-110011 के पते पर भेजे जाएं ।

प्रारूप नियम

1. संक्षिप्त नाम :— इन नियमों का संक्षिप्त नाम सीमेंट उपकर नियम, 1993 है ।

2. परिभाषाएं :— इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो—

(क) “अधिनियम” से उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) अभिप्रेत है ;

(ख) “उपकर” से अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई औद्योगिक विकास विभाग के आदेश सं. का.आ. 125 (अ) तारीख 24 फरवरी, 1993 के निबंधनों के अनुसार उद्गृहीत और संगृहीत उपकर अभिप्रेत हैं ;

(ग) “संग्रह करने वाला अभिकरण” से अभिप्रेत है सीमेंट उद्योग विकास आयुक्त, भारत सरकार अथवा ऐसा अन्य अधिकारी या प्राधिकारी, जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिनियम के अधीन उसकी ओर से उपकर की रकम संगृहीत करने के लिए प्राधिकृत किया जाए ;

(घ) “विकास परिपद” से अधिनियम की धारा 6 के अधीन स्थापित सीमेंट उद्योग विकास परिपद अभिप्रेत है ;

(ङ) “सीमेंट” से भारत में विनिर्मित सीमेंट की कोई भी किस्म अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत पोर्टलैंड पोज्जोलाना सीमेंट, ब्लास्ट फर्नस स्लैग सीमेंट, जलसह (हाइड्रोफोबिक) सीमेंट, रैपिड हाईड्रिंग सीमेंट, निम्न नाप सीमेंट, चिनाई सीमेंट, उच्च क्षमता वाला साधारण पोर्टलैंड सीमेंट, तेलकूप सीमेंट और श्वेत सीमेंट हैं ;

(च) “विनिर्माता” से सीमेंट उत्पादन करने वाला सीमेंट संयंत्र अभिप्रेत है ;

(छ) उन शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो उस अधिनियम या नियमों में है ।

3. विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना :— (1) प्रत्येक विनिर्माता, संग्रह करने वाले अभिकरण को, प्रत्येक मास की 15 तारीख को या उसके पहले, पूर्ववर्ती मास के दौरान अपने उपक्रम में विनिर्मित या उत्पादित और वहां से हटाए गए सीमेंट के स्टार्कों से संबंधित एक विवरणी इन नियमों के उपाबंध में विनिर्दिष्ट प्रारूप में प्रस्तुत करेगा ।

(2) यदि कोई विनिर्माता उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट तारीख के भीतर उक्त विवरणी प्रस्तुत करने में अतकल रहता है या ऐसी विवरणी प्रस्तुत करता है जिसके बारे में संग्रह करने वाले अभिकरण को यह विश्वास करने का कारण है कि वह अशुद्ध या त्रुटिपूर्ण है, तो संग्रह करने वाला अभिकरण विनिर्माता को उसके द्वारा विनिर्मित या उत्पादित सीमेंट से संबंधित उसके सभी लेखाओं या उनमें से किसी लेखा को प्रस्तुत करने की उससे अपेक्षा करते हुए सूचना तामील करेगा ।

4. उपकर के आगम :—प्रत्येक विनिर्माता, पूर्ववर्ती मास के लिए शोध्य रूप में उपकर की रकम आगामी मास की 15 तारीख तक संग्रह करने वाले अभिकरण के पक्ष में मांगदेय ड्राफ्ट के द्वारा विप्रेषित करेगा । उपकर के आगम पहले शीर्ष के अधीन भारत की संचित निधि में जमा किए जाएंगे और केन्द्रीय सरकार, इस निमित्त संसद् की विधि द्वारा सम्यक् विनियोग के पश्चात् ऐसे आगमों

में से संग्रहण लागत की कटौती करने के पश्चात् ऐसी राशि जो वह आवश्यक समझे, विकास परिषद् को सौंप देगी।

5. खाता खोलना :—विकास परिषद् द्वारा नियम 4 के अधीन प्राप्त की गई रकम भारतीय स्टेट बैंक में खाते में रखी जाएगी।

6. विकास परिषद् के लेखे :—(1) विकास परिषद् नियम 4 के अधीन अपने द्वारा प्राप्त की गई रकम के संबंध में समुचित लेखा रखेगी।

(2) प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए संपरीक्षित लेखा विवरण, उस पर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट सहित, केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत किया जाएगा।

7. विकास परिषद् के बजट प्राक्कलन—(1) विकास परिषद्, प्रत्येक वर्ष आगामी वित्तीय वर्ष के लिए बजट तैयार करेगी और उसे केन्द्रीय सरकार की मंजूरी के लिए ऐसी तारीख को या उसके पहले, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, प्रस्तुत करेगी।

(2) कोई व्यय तब तक नहीं किया जाएगा जब तक केन्द्रीय सरकार बजट को मंजूरी प्रदान नहीं कर देती।

(3) बजट केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार तैयार किया जाएगा।

8. वे प्रयोजन जिनके लिए उपकर के आगमों का उपयोग किया जाएगा—अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (4) के खंड (क), खंड (ख), खंड (ग) और खंड (घ) के अनुसार, उक्त धारा के अधीन संगृहीत उपकर के आगमों का उपयोग निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए किया जाएगा, अर्थात्:—

(1) सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी, राष्ट्रीय सीमेंट और भवन सामग्री परिषद्, की उसकी आवर्ती व्यय को अंशतः पूरा करने के लिए सहायता करना, अवक्षेपण, पूंजी व्यय, जो सरकार से सहायता अनुदान के अंतर्गत नहीं आता है, के लिए व्यवस्था, और सीमेंट उद्योग के हित में अनुसंधान और विकास परियोजनाओं और प्रशिक्षण कार्यक्रमों को, जो विकास परिषद् द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं, चलाना;

(2) उत्पादकता सुधार जिसके अंतर्गत उत्पादन है, ऊर्जा, अनुरक्षण, क्वालिटी, पर्यावरण संबंधी सुधार और लागत में कमी के लिए मान और कार्य-पद्धति का सुझाव देना;

(3) सीमेंट और भवन सामग्री के विनिर्माण के लिए कच्ची सामग्री का पता चलाने और उसके सर्वोत्तम उपयोग में मार्गदर्शन और सहायता की व्यवस्था करना;

(4) सीमेंट संयंत्रों को स्थापित करने और आधुनिक बनाने के लिए डिजाइन और इंजीनियरी अवलंब की व्यवस्था करना;

(5) नई सामग्री का विकास और सीमेंट विनिर्माण के लिए प्रक्रिया, जिसके अंतर्गत उन्नत रिफ़ैक्ट्री भी है;

(6) सीमेंट उद्योग के लिए पर्यावरण संबंधी सुधार कार्यक्रमों का, जिसके अंतर्गत धूल उत्सर्जन, शोर प्रदूषण का नियंत्रण और चूना-पत्थर खादानों और-सीमेंट संयंत्रों में पर्यावरण संबंधी समाघात निवारण हैं, संप्रवर्तन करना;

(7) सीमेंट विनिर्माण में स्तरमान निवारण और क्वालिटी नियंत्रण कार्यक्रमों का, जिसके अंतर्गत सीमेंट उद्योग को परीक्षण और अंशशोधन अवलंब सेवा की व्यवस्था करना भी है, संप्रवर्तन करना;

(8) सीमेंट के लिए रेल, सड़क और जल मार्गों द्वारा थोक प्रदाय और वितरण पद्धति का विकास और पैकेजिंग के लिए उन्नत पद्धति;

(9) सीमेंट उद्योग में लगे या लगने का इरादा करने वाले व्यक्तियों के प्रशिक्षण और उससे संगत तकनीकी या कलात्मक विषयों में उनकी शिक्षा का संप्रवर्तन करना;

(10) सीमेंट उद्योग के लिए राष्ट्रीय आंकड़ों का बैंक सूचना सेवा तथा पुस्तकालय और दस्तावेजी सेवा का विकास और प्रकाशनों द्वारा औद्योगिक सूचना का प्रसार;

(11) उत्पादन, समन्वयन उत्पादन कार्यक्रमों के लिए लक्ष्य की सिकारिश करना और समय-समय पर उसकी प्रगति का पुनर्विचलन करना;

(12) सामग्री के वितरण में सहायता करना और सीमेंट उद्योग के लिए सामग्री अभिप्राप्त करने के लिए प्रबंध का संप्रवर्तन करना;

(13) श्रम की उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए अध्युपायों के, जिनके अंतर्गत अधिक सुरक्षित और बेहतर कार्यकरण दिशाओं को सुनिश्चित करने के लिए अध्युपाय भी हैं, अंगोकार का संप्रवर्तन करना और कार्यकारों के लिए सुख-सुविधाओं में सुधार और प्रोत्साहन को व्यवस्था करना;

(14) कम से कम प्रशासनिक व्यवहारा, जो उसके कृत्यों के निर्वहन में अंतर्भूत हों, जिसके अंतर्गत विकास परिषद् के सदस्यों के लिए यात्रा भत्ता भी है।

उपाबंध

(नियम 3 देखिए)

सीमेंट उपकर नियम, 1993 के अधीन प्रस्तुत की
जाने वाली मासिक विवरणी का प्ररूप

.....को समाप्त होने वाला मास

कारखाने का नाम

पता

उपकर के अधीन माल का आरंभिक अतिशेष		उपकर के विनिर्मित माल		उपकर के अधीन हटाए गए माल	
वर्णन	मात्रा	वर्णन	मात्रा	वर्णन	मात्रा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

अंत अतिशेष		हटाई गई मात्रा पर उद्ग्रहणीय उपकर की रकम	टिप्पणियां
वर्णन	मात्रा		
(7)	(8)	(9)	(10)

टिप्पण :—सीमेंट की प्रत्येक किस्म के संबंध में पृथक् प्रविष्टि की जानी चाहिए ।

मैं/हम यह घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मैंने/हमने उपर्युक्त दर्शाई गई विनिष्ठियों का अपने कारखाने के अभिलेखों और बहियों से मिलान कर लिया है और जहां तक मैं/हम अभिनिश्चित कर सकता हूँ/सकते हैं, वे सही और पूर्ण हैं ।

तारीख

विनिर्माता के हस्ताक्षर

[फा. सं. 13(5)/90—सीमेंट]

ए. पी. सिंह, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th February, 1993

S.O. 126(E).—The following draft of certain rules which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by section 30 of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951) is hereby published, as required by sub-section (1) of that section, for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration after the expiry of thirty days from the date on which the Gazette containing the said notification is made available to the public.

Any objections or suggestions, which may be received from any person with respect to the said draft within the period so specified, will be considered by the Central Government. Such objections or suggestions should be addressed to the Secretary, Ministry of Industry (Department of Industrial Development), Udyog Bhavan, New Delhi-110001.

DRAFT RULES

1. Short title.—These rules may be called the Cement Cess Rules, 1993.

2. Definitions.—In these rules, unless the context otherwise requires—

- (a) "Act" means the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951);
- (b) "Cess" means the cess levied and collected in terms of Order No. S.O. 125(E) dated 24th February, 1993 of Department of Industrial Development, issued under sub-section (1) of Section 9 of the Act;
- (c) "Collecting Agency" means the Development Commissioner for Cement Industry, Government of India, or such other officer or authority as may be authorised by the Central Government to collect the amount of cess on its behalf under the Act;
- (d) "Development Council" means the Development Council for Cement Industry established under section 6 of the Act;
- (e) "cement" means any variety of cement manufactured in India, and includes portland pozzolana cement, blast furnace slag cement, water-proof (hydrophobic) cement, rapid hardening cement, low heat cement, masonry cement, high strength ordinary portland cement, oil-well cement and white cement;
- (f) "manufacturer" means a cement plant producing cement.
- (g) words and expressions used herein and not defined but defined in the Act or the rules made thereunder, shall have the meanings respectively assigned to them in that Act or the rules.

3. Submission of Returns.—(1) Every manufacturer shall submit to the Collecting Agency, on or before the 15th of every month, a return in the Form specified in the Annexure to these rules, relating to stocks of cement manufactured or produced in, and removed from his undertaking during the previous month;

(2) If any manufacturer fails to furnish the said return within the date specified in sub-rule (1) or furnishes a return which the Collecting Agency has reason to believe is incorrect or defective, the Collecting Agency shall serve notice on the manufacturer calling upon him to produce all or any of his accounts relating to the cement manufactured or produced by him.

4. Proceeds of the Cess.—Every Manufacturer shall remit the amount of cess as due for the previous month by the 15th of the following month through demand draft in favour of the Collecting Agency. The proceeds of the Cess shall first be credited to the Consolidated Fund of India under the head " " (to be specified) and the Central Government may after due appropriation made by Parliament by law in this behalf, hand over to the Development

Council such sums as it may consider necessary from out of such proceeds after deducting therefrom the cost of collection.

5. Opening of Accounts.—The amount received by the Development Council under rule 4 shall be kept in an account with the State Bank of India.

6. Accounts of the Development Council.—(1) The Development Council shall maintain proper accounts relating to the amount received by it under rule 4.

(2) The audited statement of accounts for every financial year, together with the auditor's report thereon, shall be submitted to the Central Government.

7. Budget Estimates of the Development Council.—(1) The Development Council shall in each year prepare a budget for the ensuing financial year and submit the same for sanction to the Central Government on or before such date as may be specified by the Central Government.

(2) No expenditure shall be incurred until the budget is sanctioned by the Central Government.

(3) The budget shall be prepared in accordance with such instructions as may be issued from time to time by the Central Government.

8. Purposes for which the proceeds of the Cess shall be utilized.—In accordance with clauses (a), (b), (c) and (d) of sub-section 4 of section 9 of the Act, the proceeds of the cess collected under the said section shall be utilised for the following purposes, namely:—

- (i) for assisting the National Council for Cement and Building Materials, a society registered under the Societies Registration Act, 1860 (21 of 1860) for partly meeting its recurring expenditure, provision for depreciation, capital expenditure not covered under grant-in-aid from Government, and for carrying out Research and Development Projects and Training Programmes in the interest of the cement industry as may be decided by the Development Council;
- (ii) suggesting norms and methodology for productivity improvement covering production, energy, maintenance, quality, environmental improvement and cost reduction;
- (iii) providing guidance and assistance in identification and optimum exploitation of raw materials for manufacture of cement and building materials;
- (iv) providing design and engineering support for setting up and modernisation of cement plants;
- (v) development of new materials and processes for cement manufacture including improved refractories;
- (vi) promoting environmental improvement programmes for the cement industry covering control of dust emission, noise pollution and environmental impact assessment in limestone quarries and cement plants;
- (vii) promoting standardisation and quality control programmes in cement manufacture including providing testing and calibration support services to the cement industry;
- (viii) development of bulk supply and distribution system for cement by rail, road and waterways, and improved system for packaging;
- (ix) promoting the training of persons engaged, or proposing engagement, in the cement industry and their education in technical or artistic subjects relevant thereto;
- (x) development of national data bank and information services and library and documentation services for cement industry and dissemination of industrial information through publications;

- (xi) recommending targets for production, coordinating production programmes and reviewing progress thereof from time to time;
- (xii) assisting in the distribution of materials and promoting arrangements for obtaining materials for the cement industry;
- (xiii) promoting the adoption of measures for increasing the productivity of labour, including measures for

securing safer and better working conditions and the provision of improvement of amenities and incentives for workers;

- (xiv) defraying such minimum administrative expenses, as may be involved in the discharge of its functions, including travelling allowance for the members of the Development Council

ANNEXURE

(See Rule 3)

FORM OF MONTHLY RETURN TO BE SUBMITTED
UNDER THE CEMENT CESS RULES 1993

Month ending.....

Name of Factory.....

Address.....

Opening Balance of goods subject to Cess		Goods subject to Cess manufactured		Goods subject to Cess removed	
Description	Quantity	Description	Quantity	Description	Quantity
1	2	3	4	5	6

Closing Balance		Amount of Cess leviable on quantity removed		Remarks
Description	Quantity			
7	8	9		10

Note : Separate entry should be made in respect of each variety of cement

I/We declare that I/We have compared the above shown particulars with the records and books of my/our Factory and that they are in so far as I/We can ascertain, accurate and complete-

Date.....

Signature of Manufacturer

[File No. 13(5)/90-Cement]

A.P. SINGH, Jt. Secy.